

दिनांक २२/०३/२०१२

आना विस्तार रूप से

दिनांक विस्तार

दिनांक आना या कार्यवाही

२१/३/१५

पत्रावली पेश की जा विवस्ता वादी उपस्थित २१/३/१५ वादी के उत्तर २१/३/१५ के बयान लेख बन्द की गयी वादी की २१/३/१५ सामग्री की खरना गये हो वादी सामग्री को जाती है पत्रावली वास्तु सामग्री प्रतिवादी हस्त लिनाय १३/३/१५ को पेश की

लागत २१/३/१५

उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

१३/३/१५ पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य वास्तु है। अतः पत्रावली वास्तु को पेश हो।

२०/३/१५ पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य वास्तु है। अतः पत्रावली पूर्वावस्था पत्रावली १/५/१५ को पेश हो।

११/३/१५ पत्रावली पेश की जा विवस्ता वादी उपस्थित वास्तु वादी की बयान की गयी ११/३/१५ वादी का बयान लिनाय जाया है विवस्ता के विना प्रमाण से लिखवाया जाकर सामग्री पत्रावली लिनाय गयी पत्रावली को खरना अथवा ११/३/१५ से कम हो बयान सामग्री वास्तु हस्त है।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र : 220/2022

निर्णय दिनांक : 01.05.2024

1. कानाराम पुत्र स्व० भीवा मीणा
2. श्योबकश पुत्र स्व० भीवा मीणा  
जाति मीणा, निवासी ग्राम सवाई गैटोर, तहसील- सांगानेर, जिला-जयपुर।

वादीगण


बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील- सांगानेर, जिला-  
जयपुर।

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 व 89 व 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 111 व 128 भू राजस्व  
अधिनियम 1956

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक आराजी कृषि भूमि स्थित ग्राम सवाई गैटोर, तहसील- सांगानेर के साबिक खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा रहे है जिसके भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन नम्बरान 896 रकबा 0.01 हैक्टयर 897 रकबा 0.14 हैक्टयर, 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर बनाये गये है। उक्त भूमि ही वाद मे विवादग्रस्त भूमि है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण अर्से बुजुर्गान से काबिज काश्त है तथा अपने परिवार के साथ उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना आधार व अधिकार के वादीगण के विवादग्रस्त भूमि के साबिक नक्शे के विपरीत जाकर नवीन नक्शा बना दिया है तथा प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये अशुद्ध नक्शे के अनुसार ही राजस्व नक्शे मे पूर्व नक्शे की सीमाओं के विपरीत जाकर नवीन नक्शा बनाया जबकि मौका स्थिति के अनुसार वादीगण पूर्व के नक्शे अनुसार ही वादीगण मौके पर काबिज है। गत नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 571, 572 व 573 जिस स्थान पर स्थित थे उसे राजस्व कर्मचारियों के द्वारा नये खसरा नम्बरान 897, 898, 896 व 925 बनाये गये जो कि हाल नक्शे मे गत नक्शे के अनुसार नही बना कर मौके व पूर्व के नक्शे से विपरीत जाकर बनाया गया जो विधि विपरीत है तथा राजस्व नक्शे में किया गया प्रतिवादी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किया गया यह कार्य रिकार्ड आफ राईटस के विरुद्ध है जो वादीगण के अधिकारों के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी के समक्ष अपनी पैतृक कब्जे काश्त की कृषि भूमि के नक्शे को दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा साफ इन्कार कर दिया तथा कोई उचित कारण नहीं बताया तथा कहा कि राजस्व नक्शे में दुरुस्त करने के लिए आपको सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके ही दुरुस्त किया जा सकता है। हम आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते। जिससे व्यथित होकर श्रीमान के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी के


  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राजस्व अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मनमर्जी से राजस्व नक्शे में किया गया इस प्रकार का फेरबदल जिसे उरो करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था जिसके कारण वादीगण को अपने हक व हिस्से की भूमि के उपयोग उपयोग में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा कराने का अधिकारी है कि ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर के साबिक खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा थे जिसने भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नम्बरान 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर, 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर के वादीगण सहखातेदार व काबिज काश्तकार है तथा वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा कराने का अधिकारी कि साबिक खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा की चर्तुथ सीमाएँ के अनुसार ही हाल खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा थे जिसने भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नम्बरान 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर की सीमाएँ है। वादीगण मान्य न्यायालय से प्रतिवादी को आदेशित करावे कि ग्राम सवाई गैटोर जिला जयपुर के साबिक खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा के राजस्व नक्शे के अनुसार हाल खसरा 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर के राजस्व नक्शे का दुरुस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा के अनुसार नवीन नम्बरान 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर, 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर में स्थित का सीमाज्ञान करावे तथा पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। वाद कारण दिनांक 15.9.22 को राजस्व नक्शे की प्रति प्राप्त करने पर और उसके बाद प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों को दुरुस्ती से इंकार किये जाने के बाद से लगातार जारी है।

वादीगण की प्रार्थना है कि :-

क. वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा रहे है जिसके भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन नम्बरान 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर के वादीगण सहखातेदार व काबिज काश्तकार है तथा वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा कराने का अधिकारी कि साबिक खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा की चर्तुथसीमाएँ के अनुसार ही हाल खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा, 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा थे जिसने भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नम्बरान 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर की सीमाएँ हैं।

ख. वादीगण मान्य न्यायालय से प्रतिवादी को आदेशित करावे कि ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के साबिक खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा के राजस्व नक्शे के अनुसार हाल खसरा 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर के राजस्व नक्शे का दुरुस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा के अनुसार नवीन नम्बरान 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर का सीमाज्ञान करावे तथा पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे तथा वादीगण के हक एवं हिस्से कि भूमि को दुरुस्त कराया जाकर पुर्व के नक्शे अनुसार राजस्व रिकार्ड में नक्शे में तरमीम किया जावे।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सांगानेर को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सांगानेर की ओर से दिनांक 05.01.2023 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सांगानेर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि ग्राम सवाई गैटोर के आराजी खसरा नंबर 896 रकबा 0.01 किस्म गैर मुमकिन मंदिर की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। ग्राम सवाई गैटोर के आराजी खसरा नंबर 897 रकबा 0.14, खसरा नंबर 88 रकबा 0.19 किता 2 रकबा 0.33 हैक्टयर की खातेदारी कानाराम, चंदा, मन्नालाल, श्योबक्स हरलाल पि. भीवा हिस्सा 1/2 छोट्टू मोई पु.भूरा हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा.देह खातेदार दर्ज है। खसरा नंबर 95 रकबा 0.02 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन चाह की खातेदारी कानाराम पुत्र भीवा हिस्सा 1/80 वगैरह के नाम संलग्न जमाबंदी अनुसार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल 571 रकबा 1 बीधा 8 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 897 रकबा 0.14, खसरा नंबर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर बने। साबिक खसरा नंबर 572 रकबा 1 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 896 रकबा 0.01 हैक्टयर बने एवं साबिक खसरा नंबर 573 रकबा 3 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 925 रकबा 0.02 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन चाह बने है। वादी के दावा में बिंदु संख्या 2 से 14 माननीय न्यायालय से सम्बंधित है।

बहस पत्रावली में सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि (क.) वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा रहे है जिसके भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन नम्बरान 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर के वादीगण सहखातेदार व काबिज काश्तकार है तथा वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा कराने का अधिकारी कि साबिक खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा की चर्तुथसीमाएँ के अनसार ही हाल खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा, 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा थे जिसने भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नम्बरान 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर की सीमाएँ हैं। (ख.) वादीगण मान्य न्यायालय से प्रतिवादी को आदेशित करावे कि ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के साबिक खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा के राजस्व नक्शे के अनुसार हाल खसरा 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर के राजस्व नक्शे का दुरुस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा के अनुसार नवीन नम्बरान 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर का सीमाज्ञान करावे तथा पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे तथा वादीगण के हक एवं हिस्से कि भूमि को दुरुस्त कराया जाकर पुर्व के नक्शे अनुसार राजस्व रिकार्ड में नक्शे में तरमीम किया जावे।

बहस वादीगण अधिवक्ता एवं पत्रावली में संगलन दरतावेजात का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्व साबिक नम्बरों की जमाबन्दी एवं हाल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण नवीन खसरा नम्बरान 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर के सहखातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वादीगण के पक्ष में घोषणा की जाती है कि वादीगण उपरोक्त भूमि के सहखातेदार एवं काश्तकार है। तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत साबिक खसरा नम्बरान् का राजस्व नक्शा एवं हाल राजस्व नक्शा में भिन्नता है। जबकि विधि अनुसार पूर्व राजस्व नक्शा के अनुसार ही नवीन राजस्व नक्शा बनाया जाना आवश्यक था परन्तु भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल नक्शा साबिक नक्शे के विपरित जाकर बनाया गया है। ऐसी अवस्था में साबिक खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा के राजस्व नक्शे के अनुसार हाल खसरा 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर की चतुर्थ सीमाएं घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादी तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि साबिक खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा के राजस्व नक्शे के अनुसार हाल खसरा 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर की सीमाएं हाल नक्शे में दुरुस्त की जावें। तत्पश्चात् साबिक खसरा नम्बर के अनुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराकर पुख्ता सिमाचिन्ह स्थापित किया जावे।  
निर्णय आज दिनांक 01/05/2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हिम्मत सिंह)

उपस्थित अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (सांगानेर)  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),  
जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई  
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी )

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.  
वाद संख्या : 220/2020

1. कानाराम पुत्र स्व० भीवा मीणा
2. श्योबकश पुत्र स्व० भीवा मीणा  
जाति मीणा, निवासी ग्राम सवाई गैटोर, तहसील- सांगानेर, जिला-जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील- सांगानेर, जिला-  
जयपुर।

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 व 89 व 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 111 व 128 भू राजस्व  
अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर  
द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रुबरु वकील प्रतिवादीगण  
मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्व साबिक  
नम्बरों की जमाबन्दी एवं हाल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण नवीन खसरा नम्बरान  
896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925  
रकबा 0.02 हैक्टयर के सहखातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वादीगण के पक्ष में  
घोषणा की जाती है कि वादीगण उपरोक्त भूमि के सहखातेदार एवं काश्तकार है। तथा  
वादीगण की ओर से प्रस्तुत साबिक खसरा नम्बरान् का राजस्व नक्शा एवं हाल राजस्व  
नक्शा में भिन्नता है। जबकि विधि अनुसार पूर्व राजस्व नक्शा के अनुसार ही नवीन  
राजस्व नक्शा बनाया जाना आवश्यक था परन्तु भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल नक्शा  
साबिक नक्शे के विपरित जाकर बनाया गया है। ऐसी अवस्था में साबिक खसरा नम्बर  
571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573 रकबा 03 बीस्वा के  
राजस्व नक्शे के अनुसार हाल खसरा 896 रकबा 0.01 हैक्टयर, 897 रकबा 0.14  
हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर की चतुर्थ सीमाए  
घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादी तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है  
कि साबिक खसरा नम्बर 571 रकबा 01 बीधा 08 बीस्वा 572 रकबा 01 बीस्वा व 573  
रकबा 03 बीस्वा के राजस्व नक्शे के अनुसार हाल खसरा 896 रकबा 0.01 हैक्टयर,  
897 रकबा 0.14 हैक्टयर 898 रकबा 0.19 हैक्टयर व 925 रकबा 0.02 हैक्टयर की

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सीमाएँ हाल नक्शे में दुरुस्त की जावें। तत्पश्चात् साविक खसरा नम्बर के अनुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराकर पुख्ता सिमाचिन्ह स्थापित किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01/05/2024 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

मुहर

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर द्वितीय (सांगानेर)